

**मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल**

क्रमांक

/स्था/प्रनिबो/2016

भोपाल, दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

स्टेट बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान 2016 के बिन्दु क्रमांक 81, एवं 85 के अनुपालन में जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सम्मति प्रकरणों के निराकरण हेतु ऑन लाईन आवेदन पर उद्योग/संस्थान के निरीक्षण संबंधी कार्यवाही में आदेश जारी होने के दिनांक से किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी एक उद्योग/संस्थान का लगातार दो बार निरीक्षण नहीं किया जायेगा । इसके लिये समुचित व्यवस्था की जाये ।

(ए० ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ०क्रमांक 77

/स्था/प्रनिबो/2015

भोपाल, दिनांक 19-01-16

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर Ease of doing business के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ ।
- 2 निज सचिव, अध्यक्ष, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 3 उप सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 4 समस्त यूनिट हेड, तकनीकी शाखा, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 5 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयोगशाला प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ ।
- 6 आईटी प्रभारी, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने बावत् ।
- 7 तकनीकी शाखा/गार्ड फाईल ।

(ए० ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव